न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज०

पीठासीन अधिकारी : **श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **74/2020**
GCMS NO. : **2020/00240**

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. धर्माराम पुत्र हरखीनराम जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

दावा बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
तारीख रजू:.06/10/2020

उपस्थितः–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंकः– 31/01/2024**

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1182 रकबा 2.2258 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 1128 रकबा 9.8743 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.7644 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी अपने हक हिस्से माफिक मौके पर काबिज होकर के काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम तत्कालीन आर.आई. व हल्का पटवारी ने छोटूराम नाम अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम धर्माराम है। परन्तु म्यूटेशन पारित करते समय पटवारी को सही नाम की जानकारी नहीं होने से छोटूराम नाम गलत इन्द्राज कर दिया। इसलिये वादी का गलत नाम छोटूराम के स्थान पर सही नाम धर्माराम दर्ज किया जावें। इस बाबत वादी द्वारा यह वादपत्र घोषणा का पेश है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं सरकारी स्कूल की टी.सी. में वादी का नाम धर्माराम अंकित है। परन्तु वादपत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है। इसलिये वादी को अनेकों कठनाईयों का सामना करना पड रहा है क्योकि वादी राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज हो जाने से किसी तरह की सरकारी सहायत जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाना, अपनी फसल को समर्थन मूल्यों पर बैचान करना आदि सभी सरकारी सुविधाओं से गलत नाम दर्ज होने से वंचित है। इसलिये वादी के पास अब कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाब[illegible] का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी को नाम गलत होने की [illegible].02.2020 को बैंक से ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकलें [illegible] राजस्व रे[illegible] गलत नाम इन्द्राज होने से ऋण देने से मना करने पर [illegible]कारी हुई। तब वा[illegible] दिनॉंक 18.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

02.2020 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गलत नाम छोटूराम को दुरुस्त कर सही नाम धर्माराम इन्द्राज करवाने का निवेदन किया तब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने का कहा इसलिये प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम दुरुस्त करने से इंकार करने पर वादी का पास कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का नाम दुरुस्त करवाने का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम गलत इन्द्राज होने से वादी को कई कठिनाईयां आ रही है तथा वादी का सही नाम धर्माराम है। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा गलत नाम छोटूराम दर्ज कर दिया। इसलिये अब छोटूराम के नाम को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर सही नाम धर्माराम इन्द्राज किये जाने की घोषणा की जायें। बिनाय वाद दिनांक 17.02. 2020 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर गलत नाम की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनाक 18.02.2020 को प्रतिवादी को नाम दुरुस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इकार होने से पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।

प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा में कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर (ग्राम फालका) 1182, 1128, 430, 616,1175 छोटूराम पुत्र हरदीनराम कौम जाट सा. फालका की संयुक्त खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। छोटूराम का हिस्सा एस.बी.बी.जे. आ0 कालू के रहन दर्ज है। ग्राम फालका के खसरा नम्बर 1182 में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र हरदीनराम नामान्तरण संख्या 1447 दि. 21.04.2009 बेचान के जरिए दर्ज किया गया तथा ख.नं. 1175, 430, 616,1128 में प्रार्थी का नाम छोटूराम पुत्र हरदीनराम का इन्दाज नामान्तरकरण संख्या 1103 के जरिए दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं. 1103 मा. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जैतारण के आदेश क्रमांक/राजस्व/04/85 दिनांक 23.01.2004 की पालना में दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पाठाशान्तर प्रवेशानुज्ञा (टी.सी.) भामाशाह कार्ड में वादी का नाम धर्माराम पुत्र हरदीनराम दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा छोटूराम नाम बेचान दस्तावेज व मा. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश के आधार पर दर्ज किया गया है।

पत्रावली में विवाद्यक कायम की जाकर उभयपक्ष को पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य वादी, सम्पन्न कि गई। पत्रावली पर अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी भी कार्यवाही एवं आदेशार्थ लम्बित नहीं होने से प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी [illegible] मनन किया गया। संगत विधिक प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण का विवाद्यकवार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

1. आया वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का नाम छोटूराम के स्थान पर धर्माराम इन्द्राज करवाने का अधिकारी होने से वादी घोषणा की डिक्री प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेवारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र में यह अभिव्यक्त किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी सही नाम की जानकारी नहीं होने से तत्कालीन हल्का पटवारी ने छोटूराम नाम अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम धर्माराम है। वादी द्वारा बतौर साक्ष्य स्वयं वादी का साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 के जिरह अनुसार सशपथ कथन किया कि मुझ वादी का सही नाम धर्माराम है परन्तु म्युटेशन पारित करते समय पटवारी हल्का को सही नाम की जानकारी नहीं होने से छोटूराम नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया। मुझ वादी के सभी सरकारी दस्तावेज यथा भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, पहचान पत्र एवं स्कूल की टीसी में मुझ वादी का नाम धर्माराम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजात यथा प्रदर्श-4 (ग्राम फालका जमाबंदी संवत् 2065-2068) खसरा नम्बर 1182 के लिए नामान्तरकरण संख्या 1147 के अंकित नोट दिनांक 21/10/2009 के अनुसार जरिये बेचान छोटूराम पुत्र हरदीनराम का नाम इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार प्रदर्श-10 (जमाबंदी संवत् 2057-2060) खसरा नम्बर 430, 616, 1128, 1175 के लिए नामान्तरकरण संख्या 1103 के अंकित नोट दिनांक 23/01/2004 के अनुसार छोटूराम पुत्र हरदीन का नाम इन्द्राज किया गया। परन्तु वादी के अन्य दस्तावेज प्रदर्श-11ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-14ए (टी.सी.), प्रदर्श-12ए (परिवार राशन कार्ड), प्रदर्श-13ए (धर्माराम का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र) एवं भामाशाह कार्ड की सूचना के अनुसार वादी का दस्तावेजी नाम धर्माराम होना स्पष्ट होता है। वादी के परिवार राशन कार्ड में मुखिया का नाम छोटूराम उर्फ धर्माराम ईना. अंकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का नाम छोटूराम एवं धर्माराम दोनों है परन्तु वादी द्वारा अन्य सभी पहचान दस्तावेजों में केवल धर्माराम नाम दर्ज करवाया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भू-अभिलेख में वादी का नाम तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा छोटूराम नाम जरिये बेचान एवं न्यायालय के आदेश द्वारा अंकित किया गया। परन्तु वादी का दस्तावेजी नाम धर्माराम होना साबित होता है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजों से भी साबित होता है एवं वादी द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र में भी अपना सही व दस्तावेजी नाम धर्माराम होने के सशपथ कथन किये गए है। साथ ही प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है न ही मौका फर्द संलग्न की है जिससे यह साबित होता हो कि वादी अपना दस्तावेजी नाम धर्माराम दर्ज करवाने के काबिल नहीं है। खातेदारान को अपने नाम या पिता के नाम के सम्बन्धी गलत अंकन के कारण वर्तमान ऑनलाईन सेवाओं के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा खातेदार को अपनी आराजी के संबंध में सही तथ्यों की घोषणा करवाने का अधिकार है। अतः दस्तावेजात अनुसार यह विवाद्यक वादी के पक्ष में भलीभाँति साबित होने से वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका, पट्वार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1182 रकबा 2.2258 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 1128 रकबा 9.8743 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.7644 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादी का नाम छोटूराम पुत्र हरदीनराम अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'धर्माराम पुत्र हरदीनराम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

निर्णय आज दिनाँक 31/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,**
मुकाम :- **जैतारण**
बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-: **वादी** :- **बनाम** -: **प्रतिवादी** :-

1. धर्माराम पुत्र हरदीनराम जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0नं0 :रा0वा0स0- 74/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा फालका, पटवार हल्का फालका, तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1182 रकबा 2.2258 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 1128 रकबा 9.8743 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 616 रकबा 1.7644 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम के **भू-अभिलेख में जहॉं-जहॉं** वादी का नाम **छोटूराम पुत्र हरदीनराम** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि **'धर्माराम पुत्र हरदीनराम'** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफर्रिक	0.00
मिजानः-	4.00	मिजानः-	0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।